

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 617]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/4/1878.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-11/15-02/2025/4/1076 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला-महासमुंद के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची-एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए “कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002” में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। लिफाफे के ऊपर “जिला- महासमुंद की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति” अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, “जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची-एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है। (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
---- निरंक ----			

जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	झालखम्हरिया	कोसरंगी	कोसरंगी
			सिरगीडी
			जामली
			उमरदा
			गौरखेडा
			केशवा
2	तुमगांव	भोरिंग	भोरिंग
3	खल्लारी	बी. के. बाहरा	बी.के.बाहरा
			पतेरापाली
			गाडाघाट
			बोहरडीह
			भीमखोज
			जोरातराई
4	चरौदा	ओंकारबंद	रैताल
			म. क. बाहरा
			पड़कीपाली
			चुरकी
			तरपोगी
			ओंकारबंद
5	मोंगरापाली	डोंगरगांव	तेलीबांधा
			खुडमुडी, चारभाठा, डोंगरगाव
6	नर्रा	झिटकी	झिटकी, कोकड़ी, मुड़पार, राटापाली, बहराभांठा, झलमला,
7	देवरी	साल्हेभांठा	साल्हेभांठा, दाईजबांधा, बैगाखम्हरिया, डोंगाखम्हरिया, कुसमी
8	कसेकेरा	बोईरगांव	बोईरगांव
			पतेरापाली (स)
			दरबेकेरा
			चिखली
			सर्राईपाली
9	बकमा	घोटियापानी	घोटियापानी, छुरीडबरी, बोकरामुड़ाकला, हाथीबाहरा, खुसरुपाली बोकरामुड़ाखुर्द, कण्डीझर, मातरबाहरा, बिछलादादर

10	कछारडीह		टेका
11	तेन्दुकोना	कलमीदादर	कलमीदादर
			बान्दुमुड़ा
			डोकरपाली
			टुरीझर
12	सम्हर	कौसरा	कौसरा
			ठकुरीपाली
			कौहाकुड़ा
13	बेलडीह	कोल्दा	कोल्दा
			नवागांवखूर्द
			सेवाती
			भरवामुड़ा
14	भुरकोनी	नवागांवकला	नवागांवकला
			सुईनारा
			सोहागपुर
			कोदोपाली
			चुरूपाली
15	सोनासिल्ली	धनोरा	दुरुगपाली
			फुटगुना
			धनोरा
			हरदी
16	पिथौरा	किशनपुर	किशनपुर
			रामपुर
			खैरखुटा
17	सलडीह	सिरको	सिरको
			रेमड़ा
			साल्हेतराई
			खुर्शीपहार
18	भगतदेवरी,	सावित्रीपुर	सावित्रीपुर
			श्रीरामपुर,
			बिजेमाल
			तिलंजनपुर
			भजपुरी
19	गढ़फुलझर	बरोली	केवटापाली
			आमाभौना
			बरोली
20	सलखण्ड	मुनगाडीह	मुनगाडीह
			केवटापाली
			बेलटिकरी
			भुतहाबाहरा
			बुटीपाली
			लोहारपाली
			हेडसपाली
21	उड़ेला	पुरुषोत्तमपुर	पुरुषोत्तमपुर
			केलवारडबरी
			जमदरहा
			जमनीडीह

			भालुकोना
			बनडबरी
			ललितपुर
			गायत्रीपुर
22	रिंसीकेला	कोसमपाली	डुडमचुवां
			कोसमपाली
			रायपानी
23	अंकोरी	कायतपाली	ठाकुरपाली
			बीरसिंगपाली (अ)
			कायतपाली
			लमकसा
			कलकसा
24	रोहिना	दुर्गापाली	दुर्गापाली
			कापुडीह
			बिरसिंगपाली (ब)
			बुधुडोंगर
25	दुठापाली	उमरिया	उमरिया
			कोयलारीडीह
26	सरायपाली	बगाईजोर	बालसी
			कोकडी
			भीखापाली
27	कनकेवा		प्रेतनडीह
			बगाईजोर
28	रूढ़ा	सागरपाली	खरखरी
			सागरपाली
			पलसाभाड़ी
			बटकी
			लखनपुर
			सिंघोड़ा
			जामदलखा
			देवानपाली
29	नवागढ़	कंवरपाली	कंवरपाली
			घेसपाली
			बिरकोल
30	जम्हारी	बेहरापाली	बेहरापाली
			छिर्पापाली
			साजापाली
			आंवलाचक्का
			पोटापारा
31	नवरंगपुर	बाराडोली	डुमरपाली
			बाराडोली
			परसकोल
			दाउगुडी
			कोकडी
			छुईपाली
32	सिंघनपुर	मोहका	बरडीह
			मोहका

			बोहारपार
33	भूकेल	संकरी	जगत
34	गौरटेक		संकरी
			धनापाली
			परसकोल
			पिताईपाली

जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
----- निरंक -----				